...ालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

अपील 12/8/2024 तारीख रजू.........................

अनारदेई बनाम ग्राम पंचायत सौंखरी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.07.2024	वकील अपीलान्ट उपस्थित। आज यह अपील अपीलाण्ट की ओर से वकील अपीलाण्ट श्री सतीशचन्द शर्मा एड0 ने उपस्थित होकर पेश किया। कार्यालय रिपोर्ट ली गई। अपील दर्ज पंजिका हो। रेस्पोडेण्ट जरिये रजि0 डाक सम्मन से तलब होकर पत्रावली वास्ते तलवी दिनांक 30.08.2024 को पेश। [signature] उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/8/24	वकील अपीलान्ट उपस्थित साबिक आदेश दिनांक......................... की पालना में पत्रावली तलबी रजि0 रि0 दिनांक 24/10/24 को पेश हो उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
24/10/24	मुकदमा [illegible] न०/P.C वास्ते ...अपील प्रकीर्णी हाजरी कार्यवाही दिनांक 30/1/24 को पेश हो। [signature]	
30/1/25	वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेण्ट सं० 2, 3 की ओर से श्री नीरज शर्मा एड० ने वकालतनामा पेश किया गया। जवाब के समय चाहा गया। रेस्पोडेन्ट सं० 1 बावजूद तामील सूचना के अनुपस्थित आये पत्रावली वास्ते जवाब [illegible] हेतु दिनांक 5/5/25 को पेश हो। [signature]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/25	... पेश हुई । ... एस.ओ. न काय ... रहा है । P.O. साहब अवकाश पर हैं । पत्रावली दिनांक 15/1/26 को पेश हो [signature]	
15/1/26	वकीलान उपस्थित। पत्रावली पर पुनः बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 29/1/26 को पेश हो। [signature]	
29/1/26	अनुपस्थित ... P.O. साहब अवकाश पर हैं। पत्रावली दिनांक 03/2/26 को पेश हो। [signature]	
3/2/26	वकीलान उपस्थित। पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अपील को साबित करने में असफल रहे जिसके कारण उनकी अपील अपीलार्थी निरस्त योग्य प्रतीत होती है अतः अपील अपीलार्थी साबित ना होने पर खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखकर जारी हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर दाखिल नत्थी रेकॉर्ड हो। सुनाया [signature]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी–श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या–12 / 08 / 2024 दायर दिनांक–29 / 07 / 2024

जीसीएमएस–2024 / 468 निर्णय दिनांक–03 / 02 / 2026

बउनवान

1. अनारदेई उर्फ रमको पुत्री नानगा पत्नी धनीचन्द जाति कोली निवासी सौंखरी तहसील कठूमर हालवासी नदिया मोहल्ला बडबाली वगीची भरतपुर।

......अपीलाण्ट

1. सरपंच ग्राम पंचायत सौंखरीपंचायत समिति कठूमर जिला अलवर
2. बाबू पुत्र मूला जाति कोली निवासी सौंखरी तहसील कठूमर
3. अजीत पुत्र मूला जाति कोली निवासी सौंखरी तहसील कठूमर

———————रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश विरासत इन्तकाल संख्या 418 ग्राम सौंखरी ग्राम पंचायत सौंखरी अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री राधावल्लभ शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट
2.श्री नीरजकुमार शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्टस

–::निर्णय::–

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि नानगा अपीलाण्ट के पिता है। नानगा के कानूनी वारिस एक पुत्र सोहनलाल व एक पुत्री अपीलाण्ट अनारदेई उर्फ रमको है। सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। आराजी खसरा नम्बर 424, 425, 566, 567, 570 वाके ग्राम सौंखरी अपीलाण्ट के पिता नानगा के 1/2 हिस्सा की दर्ज रिकार्ड आराजी थी। अपीलाण्ट के पिता नानगा के स्वर्गवास हो जाने के बाद नानगा के नाम दर्ज आराजी में अपीलाण्ट का निष्फ हिस्सा व मृतक भाई सोहनलाल को निष्फ हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ था। पटवारी हल्का को मृतक के वारिसान की जांच कर दोनों भाई बहनों के नाम बहिस्सा वराबर यानि अपीलाण्ट के नाम आधा व सोहनलाल के नाम आधा हिस्सा दर्ज करना चाहिए था। तथा अपीलाण्ट को सुनकर ही विरासत इन्तकाल फैसल करना चाहिए था लेकिन रेस्पो0 सं0 1 ने मृतक के सभी वारिसान की जांच किये विना ही केवल एक पुत्र मृतक सोहनलाल के नाम इन्तकाल दर्ज कर दिया जो गलत है। जवकि अपीलाण्ट का मृतक पिता के हिस्से की

उपखण्ड अधिकारी (कठूमर) राज0

आराजी में 1/2 हिस्सा पर कब्जा काश्त है। गलत विरासत इन्तकाल के आधार पर सोहनलाल के नाम खातेदारी दर्ज होने पर रेस्पो0 सं0 2-3 ने सोहनलाल से उक्त आराजी का अपने हक में हक त्याग रजिस्टर्ड करा लिया जिस हक त्याग के आधार पर रेस्पो0 सं0 2-3 ने अपने नाम खातेदारी दर्ज कराली। हाल राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 सं0 2-3 की खातेदारी गलत आधार पर चली आ रही है। रेस्पो0 सं0 1 ने मृतक नानगा के विरासत इन्तकाल में सगी पुत्री अपीलाण्ट का नाम छोडकर व केवल एक पुत्र सोहनलाल के नाम दर्ज कर भारी कानूनी भूल की है। दिनांक 03.01.2024 को अपीलाण्ट अपने हिस्से की आराजी पर के सी सी की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गयी तव पटवारी हल्का ने रिकार्ड देखकर अपीलाण्ट को बताया कि मृतक पिता नानगा का विरासत इन्तकाल केवल उसके पुत्र सोहनलाल के नाम खोला गया है। तब अपीलाण्ट को उक्त गलत आदेश की प्रथम बार जानकारी हुई। तव हमने कलेक्टर साहव अलवर को एक प्रार्थना पत्र दिया जिस पर कलेक्टर साहब ने जांच कराई जांच रिपोर्ट दिनाक 12.03.2024 जो दिनांक 22.07.2024 को हमें प्राप्त हुई तब हमने पटवारी हल्का से उक्त दोष पूर्ण इन्तकाल की दिनांक 23.07.2024 को नकल प्राप्त की। अपीलाण्ट ने उक्त दोष पूर्ण इन्तकाल की नकल व अन्य नई पुरानी जमाबन्दी लेकर रेस्पो0 सं0 1 से राजस्व रिकार्ड में इन्तकाल से प्रभावित आराजी में अपना नाम दर्ज कराने वावत दिनाक 24.07.2024 को कहा तो रेस्पो0 ने इन्कार कर दिया। इस वजह से विला देरी अपील पेश की गई है। रेस्पो0 सं0 1 के आदेश से दिनांक 28.07.2024 तक की देरी का कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। अतः अपील अन्दर अवधि सुमार कर अत मृतक नानगा का विरासत इन्तकाल संख्या 418 व इन्तकाल संख्या 3368 वाके ग्राम सौंखरी निरस्त कर इन्तकाल से प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेण्टस को जरिये सम्मन तलव किया गया।

रेस्पोडेण्ट सं0 1 वावजूद तामील उपस्थित नहीं आया जिसके विरूद्व दिनांक 30.01.2025 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पो0 सं0 2-3 की ओर से श्री नीरज शर्मा एडवोकेट वास्ते पैरवी मुकदमा हाजिर हुये जवाव को समय चाहा।

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074, इन्तकाल संख्या 3368, 418 वाके ग्राम सौंखरी की सत्य प्रतिलिपी व जनसुनवाई प्रकरण जांच

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (अलवर) राज0

रिपोर्ट दिनांक 22.07.2024 मौका पर्चा 11.03.2024 जाति प्रमाण पत्र, व आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

बहस वकुलाय सुनी गई तथा पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड पत्रादि का अवलोकन किया। सबसे पहले हमने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट का कथन की दोषपूर्ण इन्तकाल की प्रथम वार जानकारी दिनांक 03.01.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने से हुई। मियाद के विन्दु पर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयां में यह मत प्रतिपादित किया है कि विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के लिये दिन प्रतिदिन की देरी का कारण बताना आवश्यक है। अपीलाण्ट ने अपील पेश करने में विलम्ब का कारण श्रीमान जिला कलेक्टर (भू0अ0) अलवर द्वारा अपीलाण्ट के जनसुनवाई में प्रस्तुत किये प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट दिनांक 12.03.2024 की नकल दिनांक 22.07.2024 को प्राप्त हुई तथा पटवारी हल्का से दोषपूर्ण इन्तकाल की नकल दिनांक 23.07.2024 को प्राप्त होने पर अपील दिनांक 28.07.2024 को पेश की गयी है। अतः अवधि को कण्डोन कर अपील अपीलाण्ट अन्दर अवधि सुमार की जावे।

प्रार्थना पत्र में इन्तकाल 418 आदेश से 28.01.2024 तक देरी कण्डोन करने का निवेदन है जबकी इसकी दिनांक का कोई उल्लेख प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद में नहीं हैं। अपील और धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र में कहीं भी दोषपूर्ण आदेश की तिथि का अंकन नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अपील कितना विलम्ब है जिसके पर्याप्त कारणों के आधार पर कण्डोन किया जा सकें। अपील की बिलम्ब से पेश करने व अवधि का कण्डोन किये जाने का पत्रावली पर कोई ठोस आधार नहीं है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम सावित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 मियाद वाहर होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी [illegible] अलवर